LIBRARY AND INFORMATION OFFICER

247

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 187.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय, (पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 1997[1] को अधिक्रांत करते हुए, गृह मंत्रालय में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

[1] शनिवार, अगस्त 2, 1997 श्रावण 11, 1919 को भारत के राजपत्र सं. 31 में प्रकाशित।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	*1 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-3, रु. 15600—39100+ग्रेड (वेतन 6600 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
संयुक्त पद्धति द्वारा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त संगठनों जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय भी हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3, ₹ 15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400 या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड 2, ₹ 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4800 या समतुल्य पदों पर छह वर्ष तक नियमित सेवा की है ; या (iv) जिन्होंने वेतन बैंड 2, ₹ 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4600 या समतुल्य पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं । अनिवार्य :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समतुल्य डिप्लोमा ; (ii) किसी स्थायी पुस्तकालय में, पर्यवेक्षी हैसियत में पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव । टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : (i) पुस्तकालय के क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत करने का अनुभव । (ii) मंत्रालय द्वारा संचालित विशिष्ट विषयों, जिनको प्रत्येक भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा, में वृत्तिक अनुभव । टिप्पण : बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने वेतन बैंड-2, ₹ 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4600 में सात वर्ष नियमित सेवा की है ; और यदि उस पद पर उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । [प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग या संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :– 1. निदेशक या उप-सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष 2. निदेशक या उप-सचिव (समन्वय), गृह मंत्रालय (पुस्तकालय प्रभारी) : —सदस्य 3. निदेशक या उप-सचिव गृह मंत्रालय —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/02/2010-प्रशा.-V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th July, 2012

G.S.R. 187.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession to the Ministry of Home Affairs (Library and Information Officer) Recruitment Rules, 1997[1] the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Library and Information Officer Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of posts, their classification and the Pay Band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidate belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[1]Published in the Gazette of India No. 31 on Saturday, August 2, 1997/Shravana 11, 1919

250

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Officer	*1 (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, ₹ 15600—39100 plus Grade Pay of ₹ 6600	Not Applicable	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion or deputation/transfer to be made
(10)	(11)
By composite method Promotion/Deputation (including short term contract)	Deputation (including short term contract) :— Officers under Central or State Governments or Union Territories or Autonomous organizations including Universities : (a) (i) Holding analogous post(s) on regular basis; OR (ii) With five years' regular service in Pay Band-3, ₹ 15600—39100 with the Grade Pay of ₹ 5400 or equivalent; OR (iii) With six years' regular service in Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with the Grade Pay of ₹ 4800 or equivalent; OR (iv) With seven years' regular service in posts in Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with the Grade Pay of ₹ 4600 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience— Essential: (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent Diploma in Library science from a recognized University. (ii) Five years' professional experience in a supervisory capacity in a Library of Standing. Note 1:—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2:—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the

251

(11)

opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

(i) Experience of computerizing library activities

(ii) Professional experience in the specific subjects handled by Ministry to be specified at the time of each recruitment.

Note:—Departmental Assistant Library & Information Officer with seven years' regular service in the Pay Band 2 of ₹ 9300—34800 plus Grade Pay of ₹ 4600 will also be considered alongwith outsiders and in case, he/she is selected, the post will be deemed to have been filled up by promotion.

[Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications]

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :— 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs —Chairman 2. Director or Deputy Secretary (Coordination), Ministry of Home Affairs [in-charge of Library] : —Member 3. Director or Deputy Secretary Ministry of Home Affairs —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. A-12018/02/2010-Ad.-V]

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 188.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।